

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 748 व 749 / 2010 / बीकानेर

मैसर्स फिल्स हैवी इंजीनियरिंग, (प्रा.) लि., बीकानेर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, बीकानेर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सुरेश ओझा, अभिभाषक ।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,

उप राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29.08.2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्त अपीलीय आदेश दिनांक 19.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा क्रमशः जो अपील संख्या 529 व 528/आर.एस.टी./बीकानेर/2009-10/के संबंध में हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने रिवीजन संख्या 555/03 सा.व.क.अ, उड़नदस्ता, श्रीगंगानगर बनाम मै0 देव ट्रेडिंग कं0 के निर्णय दिनांक 05.09.07 के एन्क्सचर "बी" के क्रम संख्या 25 व 39 पर शामिल करते हुये, प्रकरणों को अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया । अतः उक्त निर्देशों की पालना में अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.पी. मेटल्स 124 एस.टी.सी.611 के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत प्रस्तुत अपीलों में लागू नहीं होना अवधारित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया गया, जिसे इन दोनों अपीलों में विवादित किया गया है।

चूंकि दोनों अपील प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु सादृश्य हैं। अतः दोनों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.10.97 व दिनांक 10.10.1997 को बीकानेर के नोखा रोड़ चुंगी नाके पर वाहन संख्या एम.एच.06के-77 व एच.आर. 47-1477 को प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी द्वारा जांच हेतु रोका गया । प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी ने जांच कर, यह पाया कि वाहन में "रेस्टोरेज बेसल का एक सेगमेन्ट तथा एक सेडल सपोर्ट" मुम्बई से बीकानेर के लिये परिवहनीत किया जा रहा है । प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी ने परिवहनीत माल के संबंध में दस्तावेज चाहने पर वाहन चालक व माल प्रभारी श्री प्रमोद सिंह ने परिवहनीत माल "एक नगर सेगमेण्ट ऑफ हॉरीजन्टल प्रोपेन स्टोरेज बेसल बुलेट" के

↳

लगातार.....2

अपील संख्या - 748 व 749/2010/बीकानेर

संबंध में मैसर्स मद्रास फ्रेट केरियर्स (बम्बई) की बिल्टी संख्या-14163, 14195 दिनांक 17.09.1997 व 23.09.1997 पड़घा (बहूली) से बीकानेर प्रेषक मैसर्स फिल्म हैवी इन्जी.प्रा.लि. ग्राम-वहूली तथा प्रेषिति मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, खारा, बीकानेर, मैसर्स मद्रास फ्रेट कैरियर्स (बम्बई) द्वारा जारी चालान संख्या 12311 व 12335 दिनांक 11.07.1997 व 23.09.1997 मैसर्स फिल्स हैवी इन्जी.प्रा.लि. वहूली ग्राम, थाणे (महाराष्ट्र) द्वारा जारी इन्वॉयस क्रमांक 30 व 35 दिनांक 17.09.1997 व 23.09.1997 क्रेता मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, लिमिटेड. खारा, बीकानेर कीमतन एक्सआईज ड्यूटी व केन्द्रीय विक्रय कर सहित रु.19,53,430/-, घोषणा प्ररूप "सी" से समर्थित, लूज आईटम सेडल सपोर्ट के लिए प्रेषक द्वारा सादे कागज पर दिये गये निर्देश, मैसर्स फिल्स हैवी इन्जी.प्रा.लि. द्वारा जारी चालान क्रमांक 41 व 46 दिनांक 17.09.1997 व 23.09.1997 जिसमें "सेगमेंट व लूज आईटम" अंकित है, घोषणा प्रपत्र क्रमांक 2074/6 (अपील संख्या 749 में) वास्ते जांच हेतु प्रस्तुत किये गये। प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन चालक के बयान कर, जाहिर किया कि उपर्युक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास परिवहनीत माल के संबंध में किसी प्रकार के अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं। प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी ने परिवहनीत माल को किसी बड़ी टंकी का एक टुकड़ा होना मानकर, उक्त को एक स्वतंत्र वस्तु नहीं होने तथा सीधे तौर पर इसका काई इस्तेमाल नहीं होना माना एवम् उक्त का अन्तर्राज्यीय विक्रय होना सन्देहास्पद होना माना। इसी प्रकार में प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी प्रस्तुत दस्तावेजों के संलग्न एक दस्तावेजों में एक ओ.आई. संख्या ई एण्ड पी/एल पी जी 101/कॉन के आधार पर यह भी माना कि परिवहनित माल किसी पूर्व अनुबन्ध की पूर्ति के क्रम में लाया गया है। परन्तु उक्त प्रस्तुत दस्तावेज/कागजात में किये जा रहे संव्यवहार को अन्तर्राज्यीय विक्रय घोषित करने के कारण प्रकरण में कर दायित्व बाबत् जांच तथा करापवंचन का संदेह होने पर प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा वाहन चालक को अधिनियम की धारा 78(4)(ए) के तहत नोटिसेज जारी किये गये।

दिनांक 06.10.1997 को अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से निदेशक श्री वर्गीज फिलिप ने उपस्थित होकर माल को मय वाहन परिचालन की अनुमति देने हेतु निवेदन किया तथा जवाब प्रस्तुत किये। प्रस्तुत जवाबों को अस्वीकार कर, प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78(5) के तहत नोटिसेज जारी किया गया। दिनांक 10.10.1997 को वाहन चालक ने उपस्थित होकर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. द्वारा जारी घोषणा प्रपत्र एस.टी. 18ए

✓

अपील संख्या - 748 व 749 / 2010 / बीकानेर
क्रमांक 20714/01 की तीन प्रतियों में प्रस्तुत किये जिसमें बिल व बिल्टी से सम्बन्धित प्रविष्टियां दर्ज थी, प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। दिनांक 10.10.1997 को ही श्री फिलिप ने उपस्थित होकर जवाब दिया कि वहनित माल उनके द्वारा भारत पेट्रो.कोर्पो.लि. को बेचा जा चुका है तथा उनके द्वारा जारी गये घोषणा प्रपत्र एस.टी. 18 ए पर ही माल राज्य में आयात किया गया है। अतः प्रकरण में की जा रही कार्यवाही को समाप्त किया जाये। चूंकि प्रकरण में नियत तिथि दिनांक 13.10.1997 थी। अतः दिनांक 13.10.1997 को श्री वर्गीज फिलिप ने उपस्थित होकर धारा 78(5) के तहत जारी नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब को प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी ने अस्वीकार कर, अधिनियम की धारा 78(5) के तहत प्रत्येक प्रकरण में शास्ति रु. 5,86,029/- आरोपित कर, शास्ति आदेश दिनांक 14.10.1997 पारित किया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर तत्कालीन अपीलीय अधिकारी द्वारा जरिये आदेश दिनांक 01.07.1998 के प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी जिसके विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा जरिये निर्णय दिनांक 20.09.2002 के अपीलार्थी व्यवहार द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर लिया गया। जिसके विरुद्ध राजस्व द्वारा 'रिवीजन' प्रस्तुत करने पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा प्रकरण अपीलीय अधिकारी को मैसर्स देव ट्रेडिंग कम्पनी निर्णय दिनांक 05.09.2007 के प्रकरण के एनक्सचर "बी" के क्रम संख्या 25 व 39 के आलोक में, पारित करने हेतु अपीलीय अधिकारी को पुनः निर्णयार्थ प्रतिप्रेषित किया। माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय डी.पी.मेटल्स 124 एस.टी.सी 611 में प्रतिपादित सिद्धांतों को हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होना अवधारित कर, प्रस्तुत अपील को जरिये अपीलीय आदेश दिनांक 19.03.2010 के अस्वीकार कर दी गयी। जिनके विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि वक्त जांच परिवहनीत माल के संबंध में समस्त दस्तावेज प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। कथन किया कि प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी द्वारा मात्र संदेह के आधार पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्तियां आरोपित की गयी है। अग्रिम अभिवाक् किया कि

अपीलार्थी व्यवहारी भारतीय कम्पनी अधिनियम के तहत एक पंजीकृत फर्म है, जिसका पंजीयन कार्यालय मुम्बई में स्थित है जिसके द्वारा भारत पेट्रोलियम कम्पनी लि. से एक संविदा के अनुक्रम में अनुबन्ध किया गया था जिसके संबंध में प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी को अवगत करवा दिया गया था विशिष्ट रूप से कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज व मैसर्स डी.पी.मेटल्स के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरणों का निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा केवल मैसर्स डी.पी. मेटल्स में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, ही प्रकरणों का निष्पादन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया गया है जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना है ।

गुणावगुण पर कथन किया कि परिवहनीत माल कार्य संविदा के निष्पादन हेतु आयात किया जा रहा था ऐसी स्थिति में, माल का मालिकाना हक कार्य संविदा के पूर्ण होने के पश्चात् ही स्थानान्तरित होता है एवम् राज्य में माल लाये एवम् माल की स्थापना के समय तक भी माल के प्रेषक का मालिकाना हक रहता है। ऐसी स्थिति में, माल के दस्तावेज प्रेषक व प्रेषिति एक ही होता है अर्थात् माल के स्थापना हेतु लाये जाने वाले व्यक्ति ही प्रेषक व प्रेषिति के रूप में होने चाहिये परन्तु हस्तगत प्रकरणों में माल स्थापना हेतु लाया जा रहा था एवम् माल का मालिकाना हक भी स्थानान्तरित नहीं हुआ था इसके बावजूद भी माल के संलग्न दस्तावेजों में प्रेषक एवम् प्रेषिति अलग अलग रूप से दर्शाये गये थे। कथन किया कि ठेका कार्य में सामग्री की आपूर्ति, फ़ैब्रिकेशन, इरेक्शन पेटिंग आदि समस्त कार्य शामिल होने के कारण तथा समस्त कार्यों के लिये एक ही ठेका राशि एवम् कार्य संविदा होने के कारण उनके द्वारा प्राप्त ठेका कार्य वर्क्स कान्ट्रेक्टर के लिए अवार्डर द्वारा की जाने वाली स्रोत पर कर की कटौती के अध्यक्षीन है। विशिष्ट रूप से कथन किया कि अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा परिवहनीत माल पर 15 प्रतिशत उत्पाद शुल्क तथा 4 प्रतिशत केन्द्रीय विक्रय कर वसूल कर, फ़ैक्ट्री से माल भिजवाया गया है। समस्त कर मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन.लि.के दायित्वधीन है। अग्रिम अभिवाक् किया कि अपीलार्थी व्यवहारी की कर चोरी की कोई भावना नहीं थी, केन्द्रीय विक्रय कर चुकाया गया था, जारी नोटिस उपरांत पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा प्रपत्र 18 ए प्रस्तुत कर दिया गया था फिर भी दोनों अवर अधिकारियों द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के हस्तगत प्रकरणों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स डी.पी.मेटल्स में प्रतिपादित सिद्धांतों से

आच्छादित होना नहीं होना अवधारित कर, शास्तियां आरोपित की गयी हैं जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अपने उक्त तर्कों के आधार पर प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर पारित संयुक्त अपीलीय आदेश की पुष्टि करने का निवेदन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड के अवलोकन से विदित होता है कि वक्त जांच परिवहनीत माल के संबंध में बिल्टी, चालान, इन्वॉयसेज व घोषणा प्ररूप एस.टी. 18 सी जांच हेतु सशक्त अधिकारी के समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत कर दिये गये थे। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, परिवहनीत माल को अन्तर्राज्यीय व्यापार के अनुक्रम में परिवहनीत होना मानकर, प्रकरणों में अधिनियम के प्रावधानानुसार शास्ति आरोपित की गयी हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनीत माल के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या व फर्जी अथवा बोगस साबित नहीं किया गया है । अब प्रश्न यह है कि परिवहनीत माल अन्तर्राज्यीय व्यापार के अनुक्रम में विक्रय हेतु ले जाया जा रहा था, उक्त बिन्दु सशक्त अधिकारी के क्षेत्राधिकार से संबंधित है, अथवा नियमित कर निर्धारण अधिकारी का क्षेत्राधिकार ? यह भी विवादित है कि सशक्त अधिकारी का अधिकार क्षेत्र अधिनियम की धारा 76 के तहत क्या है ? उक्त बिन्दु पर निर्णयार्थ अधिनियम की धारा 76 के प्रावधानों का अध्ययन किया जाना समिचीन होगा जो इस प्रकार है:-

76. Establishment of check-post or barrier and inspection of goods while in movement. -

- (1).....
- (2) The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall-
 - (a).....
 - (b) carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or despatch memos;**
 - (c) produce all the documents including prescribed declaration forms relating to the goods before the Incharge of the check-post or barrier;
 - (d) furnish all the information in his possession relating to the goods; and
 - (e) allow the inspection of the goods by the Incharge of the check-post or barrier or any other person authorised by such Incharge.
- (3).....
- (4).....
- (6) The Incharge of the check-post or barrier or *"the officer authorized"*



under sub-section (4), after having given the owner of the goods or person duly authorized in writing by such owner or person Incharge of the goods a reasonable opportunity of being heard and after having held such enquiry as he may deem fit, shall impose on him for possession or movement of goods, whether seized or not, in violation of the provisions of "clause (b) of sub-section (2)" or for submission of false or forged documents or declaration, a penalty equal to thirty percent of the value of such goods.

उपर्युक्त प्रावधानों के अध्ययन से स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 76 के प्रावधानानुसार धारा 76(2)(बी) के अनुसार विहित दस्तावेज नहीं होने अथवा प्रस्तुत दस्तावेजों के "मिथ्या" और "कूटरचित" होने की दशा में ही शास्ति आरोपित की जा सकती है। प्रकरणों में सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिसेज में इन परिस्थितियों का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। प्रकरणों के संबंध में वक्त जांच अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के तहत विहित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे जिन्हें सशक्त अधिकारी द्वारा फर्जी व बोगस प्रमाणित किये बिना केवल परिवहनीय माल को अन्तर्राज्यीय व्यापार के अनुक्रम में परिवहनीय होना अवधारित कर, शास्तियां आरोपित कर, आदेश पारित किये गये हैं जो कि अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में, सशक्त अधिकारी का क्षेत्राधिकार ही नहीं है। उक्त बिन्दु के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन वृत्त-1, जयपुर बनाम मैसर्स पदम प्रभू मार्केटिंग सर्विस, लाल कोठी, जयपुर निर्णय दिनांक 10.04.2006 15 टैक्स अपडेट 115 में वक्त परिवहन जांच के संबंध में सशक्त अधिकारी के क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्न प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं:-


This Court is of the clear opinion that the provisions of Section 22A (7) of the Act of 1954 (Old Act) corresponding to Section 78(5) of the R.S.T. Act, 1994 (New Act), the jurisdiction of Anti Evasion Authority, checking the goods and transit the documents is limited to verification of the documents prescribed under the Act or Rules and it does not empower such authorities to embark upon the equity of the nature as done in the present case as to whether on a finer or deeper analysis for deciding the fixed question of facts and law as to whether the commodity would fall in one entry or the other attracting different rates of tax or one attracting the tax and the other relating to exemption from tax. This is the job of the regular Assessing Authority who while undertaking the regular assessment proceedings is entitled to initiate such enquiry upon the material brought before and is entitled to decide such questions. The Anti Evasion Authority while checking the goods and

vehicles and also the relevant document cannot embark upon such enquiry at all unless there is total wrong declaration of goods and the goods do not tally or identify with the documents accompanying such goods or vehicles and if such a case appears before the Anti Evasion Authority, he can prima facie hold such documents to be false or irrelevant and thereby get a jurisdiction to initiate the penalty proceedings under the aforesaid provisions but if the goods apparently tally or identify with the description given in the documents accompanying such goods and the vehicle, then such Anti Evasion Authority cannot embark upon the enquiry to decide such mixed questions of law and facts on a finer or deeper analysis as to whether the commodity would fall in one entry or the other like in the present case, as to whether it was a plastic tapes or cotton tapes as declared by the consignor of the goods in the relevant documents.

अतः माननीय न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में सशक्त अधिकारी का क्षेत्राधिकार अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के तहत विहित दस्तावेजों की जांच तक ही सीमित होने के कारण व परिह्वनीत माल अन्तर्राज्यीय व्यापार के अनुक्रम में होने अथवा नहीं होने का बिन्दु नियमित कर निर्धारण अधिकारी के दायित्वधीन होने के कारण एवम् वक्त जांच परिवहनित माल के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों को सशक्त अधिकारी द्वारा बिना दस्तावेजों को मिथ्या व कूटरचित होना अवधारित कर, आरोपित शास्तियों को अपास्त कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

निर्णय प्रसारित किया गया।


28.8.2014
(मदन लाल)
सदस्य